बी0 एम0 मीना,
सचिव।

अर्द्ध शा0प0सं0–8मु0स0 751/43–2–2006
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

दिनांक : 23 जून, 2006

प्रिय महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 की उपधारा–(2) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायेगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को प्रस्तुत करने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

2– उक्त अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत सूचना के अभिप्राप्ति हेतु प्रत्येक विभाग में तथा उसके प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/अधीनस्थ कार्यालयों आदि अर्थात् प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर प्रत्येक माह में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उनमें से कितने निस्तारित हुये तथा कितने अवशेष रह गये तथा प्रत्येक माह कितनी शुल्क की धनराशि प्राप्त हुई एवं इसी प्रकार धारा–19(1) के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्येक माह में कितनी अपीलें अवशेष रह गयी, इन सब का विवरण शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक माह संकलित करके आगामी माह के 10 तारीख तक सीधे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को उपलब्ध कराया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के स्तर की संकलित सूचना राजस्व विभाग द्वारा आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– अतः आपसे यह अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गई है कि अधिनियम की धारा–25 की उपधारा–(1), (2) एवं (3) को ध्यान में रखते हुए अपने विभाग तथा अपने माह की संकलित सूचना संलग्न प्रारूप में सीधे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को नियमित एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए प्रेषित सूचना की प्रति प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नकः–प्रारूप– ।।व ।।

भवदीय,

(बी0 एम0 मीना)
सचिव

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अपीलों के निस्तारण की सूचना (दिनांक 12–10–2005 से)

विभाग का नामः– माहः–

क्रम सं0	माह में प्राप्त अपीलो की संख्या	विगत माह में अवशेष अपीलों की संख्या	कुल अपीलों की संख्या	माह में निस्तांरित अपीलों की संख्या	माह में अवशेष अपीलों की संख्या
1	2	3	4=2+3	5	6=(4-5)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की सूचना (दिनांक 12–10–2005 से)

विभाग का नामः– माहः–

क्रम सं0	माह में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	विगत माह में अनिस्तारित प्रार्थना पत्रों की संख्या	कुल प्रार्थना पत्रों की संख्या	माह निस्तांरित प्रार्थना पत्रों की संख्या		निस्तारण हेतु अवशेष प्रार्थना पत्रों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क/धनराशि
				प्रार्थना पत्र निरस्त की संख्या	उपलब्ध कराई गई सूचना संख्या		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 [4-(5+6)]	8

गिरिराज वर्मा
प्रमुख सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0–1140 / 43–2–2006
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ
दिनांक : 24 अगस्त, 2006

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि लोक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005 पारित किया जा चुका है, जो 13 अक्टूबर 2005 से पूरे भारतवर्ष में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से समस्त नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है अर्थात् कोई भी आवेदक अधिनियम में उल्लिखित कतिपय प्रावधानों के अधीन :–

– दस्तावेज, रिकार्ड व कार्य का मुआयना कर सकता है;
– दस्तावेज या रिकार्ड की प्रमाणिक प्रतियाँ अथवा नोट्स ले सकता है;
– किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकता है;
– प्रिन्ट आउट, फ्लापी, कैसेट के रूप में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है;

2– अधिनियम की धारा–५(१) के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी समस्त प्रशासनिक इकाईयों अर्थात प्रत्येक लोक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी नामित किया जाना है। यहाँ प्रशासनिक इकाईयों से तात्पर्य ऐसी प्रत्येक संस्था से है जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून के माध्यम से स्थापित हों। इसमें सरकार के स्वामित्व, नियंत्रणाधीन अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। जन सूचना अधिकारी का मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर वांछित / अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना है। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र को जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने अथवा अपील को अपीलीय अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को अग्रसारित करने के उद्देश्य से सहायक जन सूचना अधिकारी भी नामित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

आपके द्वारा पूर्व का स्थानीय स्तर पर विस्तारपूर्वक प्रचार–प्रसार किया जाना है तथा विवरणों में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषणोपरान्त यह पाया गया कि आपके विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर जो जन सूचना अधिकारी नामित किये गये है वह उचित प्रतीत होते है। प्रशासनिक इकाईयों की परिभाषा के दृष्टिकोण से यदि आपके विभाग के किन्हीं अन्य कार्यालयों में भी जन सूचना अधिकारी नामित किये जा सकते है, तो उन कार्यालयों में भी जन सूचना अधिकारी नामित कर उसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की पहुँच को सुगम बनाने हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपने—अपने रिकार्ड्स को सूचीबद्ध करके रखना है तथा अधिनियम की धारा—४(१) के प्रस्तर—बी में उल्लिखित जानकारियों यथा—लोक प्राधिकरण के कार्य, दायित्व, निर्णय प्रक्रिया, निर्धारण मानक, नियम/विनियम, कार्मिकों की निदर्शिनी, बजट का विवरण, जन सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम/पता/दूरभाष संख्या, योजना/कार्यक्रमों का विवरण आदि प्रकाशित करना है। इन विवरणों को साफ्ट कापी (सी0डी0) के रूप में तैयार कर एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाना है ताकि आवेदकों को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देने की कम से कम आवश्यकता पड़े।

यदि आपके विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा उक्त जानकारियाँ वेबसाइट पर नहीं अपलोड कराई गई हैं तो कृपया प्राथमिकता के आधार पर इन जानकारियों को एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके है।

भवदीय,

(गिरिराज वर्मा)
मुख्य सचिव

प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)

गिरिराज वर्मा
प्रमुख सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0–1141 / 43–2–2006
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ
दिनांक : 24 अगस्त, 2006

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि लोक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता ल ा न े व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, २००५ पारित किया जा चुका है, जो १३ अक्टूबर २००५ से पूरे भारतवर्ष में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से समस्त नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है अर्थात् कोई भी आवेदक अधिनियम में उल्लिखित कतिपय प्रावधानों के अधीन :–

– दस्तावेज, रिकार्ड व कार्य का मुआयना कर सकता है;
– दस्तावेज या रिकार्ड की प्रमाणिक प्रतियाँ अथवा नोट्स ले सकता है;
– किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकता है;
– प्रिन्ट आउट, फ्लापी, कैसेट के रूप में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है;

2– अधिनियम की धारा–५(१) के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी समस्त प्रशासनिक इकाईयों अर्थात प्रत्येक लोक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी नामित किया जाना है। यहाँ प्रशासनिक इकाईयों से तात्पर्य ऐसी प्रत्येक संस्था से है जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून के माध्यम से स्थापित हों। इसमें सरकार के स्वामित्व, नियंत्रणाधीन अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। जन सूचना अधिकारी का मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर वांछित / अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना है। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र को जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने के उद्देश्य से सहायक जन सूचना अधिकारी भी नामित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

आपके विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई सूचनाओं का विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषणोपरान्त यह पाया गया कि आपके विभाग के संगठनात्मक ढाँचे (संलग्न) में से इंगित कुछ अधीनस्थ प्रशासनिक इकाइयों में जन सूचना अधिकारी के स्थान पर सहायक जन सूचना अधिकारी नामित कर दिये गये है। इन प्रशासनिक इकाईयों में जनता को प्रशासनिक इकाईयों में सहायक जन सूचना अधिकारी के स्थान पर जन सूचना अधिकारी नामित कर प्रशासनिक सुधार विभाग को अवगत कराने का कश्ट करें। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक इकाईयों की परिभाशा के दृश्टिकोण से यदि आपके विभाग के संगठनात्मक ढॉचे (संलग्न) में उल्लिखित कार्यालयों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कार्यालयों में भी जन सूचना अधिकारी नामित किये जा सकते है तो उन कार्यालयों में भी जन सूचना अधिकारी नामित कर उसकी सूचना भी प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की पहुँच को सुगम बनाने हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपने—अपने रिकार्ड्स को सूचीबद्ध करके रखना है तथा अधिनियम की धारा—४(१) के प्रस्तर—बी में उल्लिखित जानकारियों यथा—लोक प्राधिकरण के कार्य, दायित्व, निर्णय प्रक्रिया, निर्धारण मानक, नियम／विनियम, कार्मिकों की निदर्शिनी, बजट का विवरण, जन सूचना अधिकारी का नाम／पदनाम／पता／दूरभाष संख्या, योजना／कार्यक्रमों का विवरण आदि प्रकाशित करना है। इन विवरणों का स्थानीय स्तर पर विस्तारपूर्वक प्रचार—प्रसार किया जाना है तथा विवरणों को साफ्ट कापी (सी0डी0) के रूप में तैयार कर एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना है ताकि आवेदकों को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देने की कम से कम आवश्यकता पड़े।

यदि आपके विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा उक्त जानकारियाँ वेबसाइट पर नहीं अपलोड कराई गई हैं तो कृपया प्राथमिकता के आधार पर इन जानकारियों को एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके है।

भवदीय,

(गिरिराज वर्मा)
मुख्य सचिव

प्रमुख सचिव／सचिव (नाम से)

गिरिराज वर्मा
प्रमुख सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0—1142 / 43—2—2006
प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ
दिनांक : 24 अगस्त, 2006

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि लोक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, २००५ पारित किया जा चुका है, जो १३ अक्टूबर २००५ से पूरे भारतवर्ष में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से समस्त नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया ह अर्थात् कोई भी आवेदक अधिनियम में उल्लिखित कतिपय प्रावधानों के अधीन :—

— दस्तावेज, रिकार्ड व कार्य का मुआयना कर सकता है;
— दस्तावेज या रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियाँ अथवा नोट्स ले सकता है;
— किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकता है;
— प्रिन्ट आउट, फ्लापी, कैसेट के रूप में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है;

2— अधिनियम की धारा—५(१) के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी समस्त प्रशासनिक इकाईयों अर्थात प्रत्येक लोक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी नामित किया जाना है। यहाँ प्रशासनिक इकाईयों से तात्पर्य ऐसी प्रत्येक संस्था से है जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून के माध्यम से स्थापित हों। इसमें सरकार के स्वामित्व, नियंत्रणाधीन अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। जन सूचना अधिकारी का मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर वांछित / अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना है। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र को जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने अथवा अपीलीय अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को अग्रसारित करने के उद्देश्य से सहायक जन सूचना अधिकारी भी नामित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

आपके विभाग द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषणोपरान्त यह पाया गया कि आपके में जन सूचना अधिकारी नामित कर दिये गये है परन्तु मण्डल / जनपद तहसील / ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर नामित नही किये गये। जिसका विवरण पत्र के साथ संलग्नात्मक ढाचे " * " से इंगित है। कृपया इंगित कार्यालयों में भी जन सूचना अधिकारी नामित करने का कष्ट करें। प्रशासनिक इकाईयों के परिभाषा की दृष्टिकोण से यदि आपके विभाग के किन्ही अन्य कार्यालयों में भी जन सूचना अधिकारी नामित किये जा सकते है तो उन कार्यालयों में भी जन सूचना अधिकारी नामित कर उसकी सूचना भी प्रशासनिक सुधार विभाग को भी उपलब्ध करायी जाये।

3— अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की पहुँच को सुगम बनाने हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकरण

को अपने–अपने रिकार्ड्स को सूचीबद्ध करके रखना है तथा अधिनियम की धारा–४(१) के प्रस्तर–बी में उल्लिखित जानकारियों यथा–लोक प्राधिकरण के कार्य, दायित्व, निर्णय प्रक्रिया, निर्धारित मानक, नियम/विनियम, कार्मिकों की निदर्शिनी, बजट का विवरण, जन सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम/पता/दूरभाष संख्या, योजना/कार्यक्रमों का विवरण आदि प्रकाशित करना है। इन विवरणों का स्थानीय स्तर पर विस्तारपूर्वक प्रचार–प्रसार किया जाना है तथा विवरणों को साफ्ट कापी (सी0डी0) के रूप में तैयार कर एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाना है ताकि आवेदकों को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देने की कम से कम आवश्यकता पड़े।

यदि आपके विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा उक्त जानकारियाँ वेबसाइट पर नहीं अपलोड कराई गई हैं तो कृपया प्राथमिकता के आधार पर इन जानकारियों को एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके है।

भवदीय,

(गिरिराज वर्मा)
मुख्य सचिव

प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)

नवीन चन्द्र बाजपेई
मुख्य सचिव

अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–1143/43–2–2006
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ

दिनांक : 1 सितम्बर, 2006

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि लोक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक संस्थाओं की कार्यप्रणाली मे पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा सूचना का अधिकार विशयक अधिनियम 2005 पारित किया जा चुका है, जो 13 अक्टूबर, 2005 से पूरे भारतवर्श में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से समस्त नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से समस्त नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है अर्थात कोई भी आवेदक अधिनियम में उल्लिखित कतिपय प्रावधानों के अधीनः–

– दस्तावेज, रिकार्ड व कार्य का मुआयना कर सकता है;
– दस्तावेज या रिकार्ड की प्रमाणिक प्रतियाँ अथवा नोट्स ले सकता है;
– किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकता है;
– प्रिन्ट आउट, फ्लापी, कैसेट के रूप में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है;

2– अधिनियम की धारा–५(१) के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी समस्त प्रशासनिक इकाईयों अर्थात प्रत्येक लोक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी नामित किया जाना है। यहाँ प्रशासनिक इकाईयों से तात्पर्य ऐसी प्रत्येक संस्था से है जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून के माध्यम से स्थापित हों। इसमें सरकार के स्वामित्व, नियंत्रणाधीन अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। जन सूचना अधिकारी का मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर वांछित/अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना है। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र को जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने अथवा अपील को अपीलीय या राज्य सूचना आयोग को अग्रसारित करने के उद्देश्य से सहायक जन सूचना अधिकारी भी नामित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कई अनुस्मारक प्रेशित करने के बावजूद आपके विभाग के स्तर पर उक्तानुसार अधिकारियों को नामित करने की सूचना अभी तक प्रशासनिक सुधार विभाग को नहीं उपलब्ध कराई गई है। कृपया प्राथमिकता के आधार पर अपने विभाग के नियंत्रणाधीन प्रत्येक प्रशासनिक इकाईयों में जनता को सूचना प्रदान किये जाने हेतु जन सूचना अधिकारी नामित कर इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

3– अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की पहुँच को सुगम बनाने हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकरण

को अपने–अपने रिकार्ड्स को सूचीबद्ध करके रखना है तथा अधिनियम की धारा–४(१) के प्रस्तर–बी में उल्लिखित जानकारियों यथा–लोक प्राधिकरण के कार्य, दायित्व, निर्णय प्रक्रिया, निर्धारित मानक, नियम/विनियम, कार्मिकों की निदर्शिनी, बजट का विवरण, जन सूचना अधिकारी का नाम /पदनाम/पता/दूरभाष संख्या, योजना/कार्यक्रमों का विवरण आदि प्रकाशित करना है। इन विवरणों का स्थानीय स्तर पर विस्तारपूर्वक प्रचार–प्रसार किया जाना है तथा विवरणों को साफ्ट कापी (सी0डी0) के रूप में तैयार कर एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाना है ताकि आवेदकों को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देने की कम से कम आवश्यकता पड़े।

यदि आपके विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा उक्त जानकारियाँ वेबसाइट पर नहीं अपलोड कराई गई हैं तो कृपया प्राथमिकता के आधार पर इन जानकारियों को एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचना के अधिकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव

श्री सतीश कुमार अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
ग्रह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

चन्द्र भानू, अर्द्ध प्रशा0 पत्र संख्या–1143
(1)/43–2–2006
विशेष सचिव।

15/2(2)/03 टी0सी0–2
उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
लखनऊ
दिनांक : 9 अक्टूबर, 2006

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया श्री बी0एम0 मीना, सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के अर्द्ध शा0प0सं0–775/43–2–2006 दिनांक 16 जून, 2006 जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5(1) के अन्तर्गत नामित किए गए जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों एवं धारा–19(1) के अन्तर्गत नामित किये गए अपीलीय अधिकारियों की संकलित सूची/विवरण की सी0डी0 (हार्ड कापी सहित) शासन को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें।

2– इस संबंध में अभी तक संलग्न सूची में उल्लिखित विभागों एवं उसके प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/बोर्ड की सूचना ही प्राप्त हुई है। अतः आपसे पुनः यह कहने की अपेक्षा की गई कि आप कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित वांछित संकलित सूचना सी0डी0 व हार्ड कापी में शासन को प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(चन्द्र भानु)
विशेष सचिव

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

नवीन चन्द्र बाजपेई
आई0ए0एस0

अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–1936 / 43–2–2006
लाल बहादूर शास्त्री भवन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2,
लखनऊ

दिनांक : 20 नवम्बर, 2006

प्रिय महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2005 को सम्पन्न हुई बैठक में आवश्यक विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये गये थे चूँकि कतिपय विभागों द्वारा सक्षम स्तर के जन सूचना अधिकारी नामित नहीं किये गये है, अतः सम्बन्धित विभाग उक्त बिन्दु पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही कर ले। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि अधिनियम की धारा–4(1) (बी) के अन्तर्गत समस्त अपेक्षित कार्यवाही दो सप्ताह के अन्दर विभागों द्वारा सम्पन्न करा ली जाय।

उपर्युक्त बिन्दुओं के पिरप्रेक्ष्य में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि पर्याप्त निर्देशों के बावजूद भी विभिन्न विभागों के अनु सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को बतौर जन सूचना अधिकारी यथाक्त रखते हुए अपेक्षित संशोधन नही ंकिया गया है। इस संबंध में एतद्द्वारा समस्त विभागों को यह निर्देश दिये जाते है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 (1) के अन्तर्गत नामित जन सूचना अधिकारी विशेश सचिव स्तर से निम्न तथा धारा–19 (1) में नामित अपीलीय अधिकारी सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी नहीं होना चाहिए। विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उक्तानुसार ही कार्यालय को जन सूचना अधिकारी नामित किया जाय तथा अन्य फील्ड स्तरीय कार्यक्रमों में प्रमुखों को जन सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक मामले में नियंत्रक अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय।

शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि अधिनियम की धारा–4 (1) (बी) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अन्तर्गत एनआइसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक केवल 59 विभागों एवं 78 विभागाध्यक्षों / अन्य कार्यालयों द्वारा <u>सूचना / विवरण</u> एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है। उक्त 59 विभागों की सूचना में 14 विभागों की सूचना अपूर्ण है। इसी प्रकार 78 विभागाध्यक्ष / कार्यालयों में से 32 कार्यालयों की सूचना अपूर्ण हैं कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि लोक प्राधिकरण के सम्बन्ध में धारा–4 (1) (बी) <u>सूचना / विवरण</u> प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग तथा एनआईसी, बापू भवन चतुर्थ तल को सी0डी0 सहित हार्डकापी में दो प्रतियों में दिनांक 30.11.2006 तक उपलब्ध करा दी जाये। उक्त सूचना इसलिए भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस के अभाव में मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित एक रिट याचिका में प्रति शपथ पत्र दायर करने में विलम्ब हो रहा है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ''उत्तर प्रदेश शासन एवं उसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकरणों में गत वर्श में सूचना दिये जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही में उदासीनता का रवैया अख्तियार करते हुए बिना समुचित कारणों के आवेदक को सूचना देने की मनाही की गयी अथवा आनाकानी करके विलम्ब किया गया है''। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि आवेदकों के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व जन सूचना अधिकारी पत्रावली पर उच्च अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करते है जबकि उन्हें स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अधिनियम की मंशा यह है कि अधिकारियों को सूचना देने में यदि कोई विधिक बाधा नहीं है तो तत्काल समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपने विभाग तथा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले समस्त लोक प्राधिकारियों को ऊपरि वर्णित बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु कड़े निर्देश निर्गत करते हुए उसकी प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग एवं उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को पृश्ठांकित करने का कश्ट करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, (नाम से),
विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश (नाम से),
मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (नाम से)।

क्रम–संख्या–265(क–5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11 / लाई0–
न्यूज पेपर / 91 / 05–06
लाइसेंस टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 नवम्बर, 2006
अग्रयाहण 6, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

संख्या 1900 / 43–2–2006–15–2(2)–2003टी0सी0–14
लखनऊ, 27 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

प0 आ0–3359

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनिमय) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4, 5 तथा 6 का संशोधन

2— उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 के नियम 4, 5 तथा 6 में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

स्तम्भ—1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
4—उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबधित लोक प्रधिकरण को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक द्वारा दस रूपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जायेगा।	4—उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित प्राप्ति लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा दस रूपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा।
5—उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा :— (क) सृजित या प्रतिलिपि किए (ए—4या ए—3आकार के कागज में) के लिए दो रूपये, (ख) वृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य, (ग) नमूनों या प्रतिदर्शो के लिए वास्तविक वास्तविक लागत या मूल्य और जहॉ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध में वहॉ इस प्रकार नियमत किया गया हों।	5—उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति बदले में नकद स्वरू‍ या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा :— (क) सृजित या प्रतिलिपि किए प्रत्येक पृश्ठ प्रत्येक पृश्ठ (ए—4या ए—3आकार के कागज में) के लिए दो रूपये, (ख) बृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि प्रभार या लागत मूल्य, (ग) नमूनों व प्रतिवादियों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहॉ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध में वहॉ इस प्रकार नियमत किया गया हों।

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टें के लिए इस रूपय शुल्क तत्पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए या उसका आशिंक भाग) पाच रूपये का शुल्क

6— धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्रानिधकारी को सदैव समूचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर्स चैंक द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जांएगा।

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टें के लिए इस रूपये का शुल्क तत्पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए या उसका आशिंक भाग) पाच रूपये का शुल्क

6— धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्रानिधकारी को सदैव समूचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर्स चैंक द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जांएगा।

स्तम्भ—1

विद्यमान नियम

(क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रूपये, और

(ख) मुद्रित रूप में प्राप्त की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रूपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।

स्तम्भ—2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रूपये, और

(ख) मुद्रित रूप में प्राप्त की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु उद्धरणों के लिए दो रूपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।

आज्ञा से,

बी0एम0 मीना,
सचिव

In pursuance of the rovisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1900/XLIII-2- 2006-15-2 (2)-2003 T.C. 14, dated Nobmber 27, 2006:

No. 1900/XLIII-2- 2006-15-2 (2)-2003 T.C. 14,
dated Mpve,ner 27, 2006:

In exerice of the Power confered by section 27 of the Right to Information Act, 2005(Act no. 22 of 2005) the Governor is plwased to make the following rules, with a view to amending the Uttar-Pradesh Right to Information (Regulation of Free and Cost) Rules, 2006.

THE UTTAR-PRADESH RIGHT TO INFORMATION (REGULATION OF FEE AND COST) (AMENDMENT) RULES, 2006.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Right to Information (Regulation of Fee and Cost (Amendment) Rules, 2006

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Right to Information (Regulation of fee and Cost) Rules, 2006, For the existing Rules 4,5 and 6 set out in column -a below, the rule as set out in column-s shall be substituted, namely:-

CLOUMN-1 **Existing Rule**	**CLOUMN-2** **Rule as hereby substitued**
(4) A request for obtaining information under sub-section (1) of sectuin 6 of the Act shall be accompained by an application free of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the concerned public authority.	(4) A request for obtaining information under sub-section (1) of sectuin 6 of the Act shall be accompained by an application free of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the concerned public authority.

CLOUMN-1 **Existing Rule**	**CLOUMN-2** **Rule as hereby substitued**
For providing information under sub-section (1) of section 7 of the Act, the fee shall be charged by way of cash against proper or by demand draft or bankers cheque payable to the public authority at the following rates:- (a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 Size paper) created of copies, (b) actual cost or price of a copy in larger size paper, (c) actual cost or price for samples or models and where the information is available in form of priced publication, price so fixed. (d) For enspection of records, as fee of rupees ten for the first hour, and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction there of) there after For providing the information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the public authority at the following rates:- (a) For information provided in diskette or floppy or compact disk rupees fifty per diskette or floppy or compact disk, and (b) For information provided in printed dorm at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracs from the publication.	For providing information under sub-section (1) of section 7 of the Act, the fee shall be charged by way of cash against proper or by demand draft or bankers cheque payable to the public authority at the following rates:- (a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 Size paper) created of copies, (b) actual cost or price of a copy in larger size paper, (c) actual cost or price for samples or models and where the information is available in form of priced publication, price so fixed. (d) For enspection of records, as fee of rupees ten for the first hour, and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction there of) there after For providing the information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the public authority at the following rates:- (a) For information provided in diskette or floppy or compact disk rupees fifty per diskette or floppy or compact disk, and (b) For information provided in printed dorm at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracs from the publication.

By order,

B.M. MEENA
Sachiv

पी0एस0यू0पी0– ए0पी0 3384 राजपत्र (हिन्दी)–2006–(7159)–597(कम्प्यूटर/आफसेट)

प्रेषक
शंभुनाथ,
मुख्य सचिव,
सेवा में,

संख्या–695 / 43 / 2–2007
15 / 2 / 37 / 07
उत्तर प्रदेश शासन।

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक : 24 अप्रैल, 2007

विषय– **जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनाम से नामित किया जाना**

महोदय,

उपर्युक्त विशयक सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या –775 / 43–2–2006 दिनांक 16.06.2006 द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव से यह अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक विभाग एवं उस विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय / अधीनस्थ कार्यालय / सार्वजनिक निगमों / उपक्रमों / संस्थाओं / बोर्ड्स / आयोगों अर्थात् प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर नामित किये गये जन सूचना अधिकारियों / अपीलीय अधिकारियों की पूरे विभाग की संकलित सूचना / विवरण की सी0डी0 (हार्ड कापी सहित) प्रशासनिक सुधार विभाग को प्राथमिकता पर उलब्ध कराने का कश्ट करें।

2. व्यवहार में यह अनुभव किया जा रहा हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5(1) के अन्तर्गत नाम से जन सूचना अधिकारी एवं धारा–19 (1) के अंतर्गत नाम से प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की दशा में उक्त अधिकारियों की पूरे प्रदेश की संकलित सूची / विवरण तैयार हो पाना व्यवहारिक रू॰ से सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय–समय पर अधिकारियों का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप संकलित सूची उद्‌यावधिक नहीं हो पाती।

3. सम्यक विचारोपरांत यह भी पाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जन सूचना अधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों, व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को नाम से नामित किया जाना आवश्यक नहीं है जैसा कि कतिपय अन्य राज्यों में भी ऐसा किया गया है। अतः उपरोक्त स्थिति में शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा नाम से जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी नामित न कर पदनाम से नामित किया जाय ताकि संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण से यह स्थिति प्रभावित न हो।

4. अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने अधीन सभी लोक प्राधिकरणों में अपने विवेकानुसार उचित स्तर के अधिकारियों को उनके पदनाम से जन सूचनाधिकारी, सहायक जन सूचनाधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए संलग्न प्रारूप में उनका विवरण अपनी

विभागीय वेबसाइट तथा नचण्दपबण्पद वेबसाइट पर एन0आई0सी0 के संबंधित अधिकारी की सहायता से अपलोड कर उसकी सी0डी0 प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

संलग्नक–प्रारूप

भवदीय,

(शम्भू नाथ)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–
1. सचिव, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, छठा तल, इंदिरा भवन, लखनऊ।
2. श्री एस0के0 त्रिपाठी, सूचना का अधिकार, अधिनियम को आर्डिनेटर एन0आई0सी0, 9 फ्लोर, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ। फोन नं0–2237600 / सी.एच. 4586 एक्सटेंशन 2238001

आज्ञा से,

(वी0के0 मिश्र)
उपसचिव

प्रपत्र

विभाग का नामः–

क्रमांक	लेक प्राधिकरण अर्थात शासन के विभाग/निदेशालय/अधीनस्थ कार्यालय/निगम/उपक्रम/संस्था/बोर्ड/आयोग आदि का नाम	जन सूचनाधिकारी/सहायक जन सूचनाधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय	अपीलीय अधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय

प्रेषक, संख्या–1454 / 43–2–07–15 / 2(2) / 03 टी0सी0

कुमार कमलेश,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2007

विशय : <u>जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाना</u>।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक शासनादेश संख्या–695 / 43–2–2007, दिनांक 24–4–07 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अभी तक उक्त शासनादेश की गयी अपेक्षानुसार लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पदनाम से नामित किये गये जनसूचना अधिकारियों / सहायक जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीली अधिकारियों की <u>सूचना / विवरण</u> उक्त शासनादेश से संलग्न निर्धारित प्रारूप में विभागीय वेबसाइट तथा up.nic.in के वेबसाइट पर अपलोड कर उसकी सी0डी0 प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–26 (3) (बी) को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में धारा के अंतर्गत नामित जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी तथा धारा–19 के अंतर्गत नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी की एक संकलित सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार होनी है। अतः अनुरोध है कि कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर उक्त शासनादेश (दिनांक 24–4–2007) के स्तर 4 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर वांछित सी0डी0 / फ्लापी प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग लखनऊ को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)

सचिव।

प्रेषक,

संख्या–1947 / 43–2–07–15 / 2(2) / 07

प्रशान्त कुमार मिश्रा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव (नाम से)
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 2 अगस्त 2007

विषयः– **जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनाम से नामित किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–695 / 43–2–2007, दिनांक 24–4–07 द्वारा यह अनुदेश निर्गत किया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 व धारा–19 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकरणों में अपने विवेकानुसार उचित स्तर के अधिकारियों को उनके पदनाम से जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए उक्त पत्र से संलग्न प्रारूप में उनका विवरण अपने विभागीय वेबसाइट तथा एन0आई0सी0 के वेबसाइट up.nic.in पर अपलोड कर उसकी सी0डी0 प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाये। सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या–1454 / 43–2–2007, दिनांक 14 जून, 2007 द्वारा आपको स्मरण कराये जाने के उपरान्त भी अब तक केवल संलग्न सूची में उल्लिखित विभागों / जनपदों / कार्यालयों से ही उक्त सूचना / विवरण सी0डी0 में प्राप्त हो सका है। पूरे प्रदेश में पदनाम से नामित उक्त अधिकारियों को पूर्ण सूचना / विवरण सी0डी0 / फ्लापी में प्राप्त न हो पाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–26 (2) एवं धारा–26 (3) (बी) में उल्लिखित प्रावधानों का क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय में अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकरण में पदनाम से नामित जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण उपर्युक्त पत्र (24–4–2007) से संलग्न प्रारूप में अपने विभागीय वेबसाइट तथा एन0आई0सी0 के वेबसाइट up.nic.in पर अपलोड कर उसकी सी0डी0 / फ्लापी प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग को अब प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रश्नगत सूचना / विवरण सी0डी0 फ्लापी में ही उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

प्रेषक,
प्रशान्त कुमार मिश्रा,
मुख्य सचिव,

संख्या–2324 / 43–2–2007

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव (नाम से)
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक उ0प्र0 शासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
3. निदेशक सचिवालय एवं प्रशिक्षण सस्थान, लखनंऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर 2007

विषयः– **भारत सरकार के स्तर पर गठित द्वितीय प्र□ासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट में की गयी संस्तुति।**

महोदय,

उपर्युक्त विशयक भारत सरकार के पत्र संख्या–17014 / 1 / 07 टी.आर.सी. (आर.टी.आई.) दिनांक 13–7–2007 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के स्तर पर गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम रिपोर्ट में सूचना के अधिकार विषय पर पशिक्षण दिये जाने के संबंध में दी गयी संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है–

<u>आयोग की संस्तुति</u>

(1) आयोग ने संस्तुति किया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवल जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी ही सम्मिलित न किये जाएं बल्कि सरकारी विभागों द्वारा एक वर्श में कम से कम एक दिन का प्रशिक्षण सूचना के अधिकार पर रखा जाय। इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लाक स्तर पर प्रत्येक ब्लाक में आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक जिले मे ंप्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

<u>कार्यवाही</u>

यह तय किया गया है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / राज्य सरकारों द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर आयोजित की जाय।

(2) सामान्य तथा विशेष रूप से आयोजित प्रशिक्षण में सामान्य अथवा विशेंष रूप से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिन से अधिक अवधि के लिए आयोजित किये जायें जिनमं आधे दिन का प्रशिक्षण सूचना के अधिकार पर दिया जाना अनिवार्य हो।

कार्यवाही

यह तय किया गया कि एक सप्ताह या उससे अधिक के समस्त ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, यदि सम्भव हों तो, एक घण्टे का प्रशिक्षण सूचना के अधिकार पर दिया जाये।

(2) कृपया अपने अधीन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रदेश में समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार के उक्त निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)

संख्या–2324 (1)/43–2–2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि भारत सरकार को उनके पत्र संख्या–17014/1/07 टी.आर.सी., (आर.टी.आई.) दिनांक 13–7–2007 के सन्दर्भ में

आज्ञा से

(कुमार कमलेश)

17014/1/2007-Trg (RTI)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(Training Division)
Block-IV, 3rd Floor, Old JNU Campus,
New Delhi-110067
Dated: 13.07.2007

To,

-Secretaries to all Ministries/Departments, Government of India,
-Chief Secretaries to all State Governments,
-Heads of all Central Training Institutes
-Heads of all State Training Institutes.

Subt:- **Recommendation of the first Report of the 2nd Administrative Reforms Commission on Right to Information-Action Taken Report.**

Sir/Madam,

The recommendation of the 2nd Adiministrative Reforms Commission on Ringht to Information pertaining to training activities has been considered by this Department and accordingly following has been decided:-

Recommendation:-

(i) The Commission recommended that training programmes should not be confined to merely PIOs and APIOs. All government functionaries should be imparted training for atleast one day on Right to Information within a year. These training programmes have to be organized in a decentralized manner in every. Block. A cascading model could be adopted with a batch of master trainers in each district.

Action:-

It has been decided that funds permitting, various Ministries/Departments/State Governments etc. may conduct such training programmes.

Recommendation:-

(ii) In all general or specialized training programmes of more than 3 days duration, a half-day module on Ringht to Information should be compulsory.

Action:-

It has been decided that in all training programmes for one week or more, a one-hour module on Right to Information should be included, wherever possible.

It is requested that appropriate action may be taken as indicated above.

Yours faithfully
(AjaySawhney)
Joint Secretary (Trg)

प्रेषक,
नागेश्वर नाथ उपाध्याय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–3210/43–2–07–15/2–3–07

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 31 दिसम्बर 2007,

विषयः– **जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनाम से नामित किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विशयक तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–695, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 द्वारा यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा–5 व धारा–19 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकरणों में अपने विवेकानुसार उचित स्तर के अधिकारियों को उनके पदनाम से जन सूचना अधिकारी/सहायक, जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए उक्त पत्र (24–4–2007) से संलग्न प्रारूप में उनका विवरण अपने विभागीय वेबसाइट तथा एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कर उसकी सी0डी0 प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रकरण में सचिव प्रशासनिक सुधार के पत्र संख्या–1454/43–2–2007 दिनांक 14 जन, 2007 तथा मुख्य सचिव के पत्र संख्या–1947/43–2–2007, दिनांक 2 अगस्त 2007 द्वारा दो अनुस्मारक प्रेशित किये जाने के उपरान्त भी अब तक केवल शासन के 17 विभागों, 31 जिलाधिकारियों एवं 55 अन्य लोक प्राधिकारियों से ही वाछित सूचना/निवास /विवरण की फ्लापी सी0डी0 प्राप्त हो सकी है। प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों से प्रश्नगत सूचना/विवरण की सी0डी0 प्राप्त न हो पाने के कारण पूरे प्रदेश में नामित जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की संकलित सूची/विवरण तैयार किया जाना अभी भी व्यवहारिक रूप से संभंव नहीं हो पाया है।

3– उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–26 (2) एवं 26 (3) (बी) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार जन सामान्य की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश के जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों की संकलित सूची/विवरण सहित गाइड लाइन्स प्रकाशित किया जाना शासन की एक विधिक बाध्यता है। किन्तु

प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों से नगत सूचना / विवरण की सी0डी0 प्राप्त न होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा–26 (2) एवं 26 (3) (बी) का अनुपालन सम्भव नहीं हो पाया है। अतः अनुरोध है कि आप कृपया अपने विभाग / कार्यालय तथा अपने अधीन आने वाले समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा नामित जन सूचना अधिकारियों / सहायक जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों की सूची / विवरण की सी0डी0 उपर्युक्त पत्र (24–4–2007) से संलग्न प्रारूप के अनुसार अब शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 10 जनवरी 2008 तक आवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव

प्रेषक,   संख्या–556 / 43–2–08–15 / 2(3) / 07टी.सी.

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2   लखनऊ :   दिनांक : 6 जून 2008,

विषयः– ''लोक प्राधिकरण (Public Authority)*' द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे भारत वर्ष में 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) में दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी ''लोक प्राधिकरण (Public Authority)** को अर्थ ऐसा प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था है–

(a) जो संविधान या उसके अधीन बनाया गया हों,
(b) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा बनाया गया हो,
(c) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा बनाया गया हो,
(d) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित किया गया हो,

और इसके अन्तर्गत–

केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या आंतरिक रूप से वित्त पोषित निकाय और केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर–सरकार संगठन भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आते है। सरकार द्वारा किसी निकाय या गैर–सरकारी संगठन का वित्तपोषीय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है।

2– अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रिकार्डो का समुचित प्रबन्धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लोक प्राधिकरणों को अपने सभी रिकार्ड ठीक तरह से रखने चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी रिकार्ड सम्यक् रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध हों, ताकि सूचना के अधिकार को सुकर बनाया जा सकें।